अज़ाबे कबर के सुबूत का बयां

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी.

एक हज़ार मुन्तखब हदीसे मिश्कात शरीफ हिन्दी.

1} तिर्मिज़ी, हज़रत अबू हुरैरह (रदी) से रिवायत है.

खुलासा:- रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया जब किसी मय्यित (मर जाने वाले शख्स) को कबर में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास काले और नीली आँखों वाले दो फरिश्ते आते है जिनमें से एक को 'मुन्कर' आर दूसरे को 'नकीर' कहा जाता है, वे उस मय्यित से पूछते है कि तुम इस आदमी यानी हज़रत मुहम्मदﷺ के बारे क्या कहते हो? अगर वह मोमिन है तो कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है और हज़रत मुहम्मदﷺ उसके बन्दे और उसके सच्चे रसूल है, यह सुनकर वे फरिश्ते कहेंगे हमें मालूम था कि तुम यही इकरार करोगे.

फिर उसकी कबर सत्तर हाथ लम्बाई में और सत्तर हाथ चौडाई में खुली कर दी जाती है, फिर उसकी कबर को रोशन कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है तुम आराम से सो जाओ,

वह कहेगा मुझे अपने घर वालों के पास वापस जाने दो ताकि मैं उन्हें अपने बारे में ये हालात बता सकूँ, फरिश्ते कहेंगे तुम उस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे सिर्फ महबूब (शौहर) ही जगा सकता है, फिर वह सो जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला ही उसे उठायेंगे.

अगर वह मुनाफिक होगा तो कहेगा उस आदमी हज़रत मुहम्मदﷺ के बारे में मैं वही कहता हूँ जो मैंने लोगों से सुना है, मैं उसकी हकीकत नहीं जानता, फरिश्ते कहेंगे हमें मालूम था कि तुम यही कहोगे, उसके बाद ज़मीन को सिकुड जाने का हुक्म दिया जायेगा तो उसकी कबर इस कद्र सिकुड जायेगी कि उसकी दायीं पस्लियाँ बायीं तरफ और बायीं पस्लियाँ दायीं तरफ निकल आयेंगी और इसी तरह वह हमेशा अज़ाब में मुब्तला रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसको उसी जगह से उठायेंगे.

2} नसाई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रदी) से रिवायत है.

खुलासा:- रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया सअद वह आदमी है

जिनकी रूह के लिये अर्श इलाही खुशी से झूमने लगा और उनके लिये आसमान के दरवाजे खोल दिये गये, उनके जनाज़े में सत्तर हज़ार फरिश्ते शामिल हुए, उन्हें कबर में एक बार भेजा गया फिर उनकी कबर को खोल दिया गया.

मतलब- कबर हर इन्सान को दबाती है, मोमिन को मुहब्बत और प्यार की वजह से दबाती है और काफिर को अज़ाब पहुँचाने के लिये दबाती है, अलबत्ता वे मुसलमान जिनसे गुनाह हुए और वे मरने से पहले तौबा न कर सके हों तो उनके लिये भी कबर एक बार शिकंजा बनती है, सअद (रदी) को यह दरजा इसलिये दिया गया कि उन्होंने बनू कुरैज़ा के बारे में अल्लाह तआला की रज़ा के मुताबिक फैसला किया था.